# मानक शर्ते

गेल इंण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) की 36''/24'' व्यास की ( झॉसी – औरैया –Qूलपुर ) गैस पाईप लाईन बिछाये जाने की परियोजना के लिये तथा उनके मान्य होने का प्रमाण पत्र

(वन अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 7314/14–3–1980/82 दिनॉक 31–12–2004 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उस के वैधानिक स्तर मे कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भॉति चिन्हित/संरक्षित भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का प्रयोग केवल कथित प्रयोजनों हेतु ही किया जाएगा। अन्य प्रयोजनों हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाए कि मॉगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. अधोहस्ताक्षरी विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचाएंगे और ऐसा किया जाने पर सम्बंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि सीमांकन नियंत्रक विभाग अपने व्यय से सम्बंन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में कराएगा तथा इस संम्बंध में बनाए गए मुनारे आदि की देख–भाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संम्भव होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं वन जन्तुओं के स्वचछन्द विचरण कि व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जाएगी।
9. सिचाई विभाग/जल विभाग द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

Pradeep Yadav
वरि० प्रबन्धक (निर्माण), लखनऊ
Sr Manager (Construction), Lucknow
गेल (इंडिया) लिमिटेड
GAIL (India) Ltd
लखनऊ (226010)
Lucknow (226010)

10. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकार का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जाएगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतं बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

11. सडक निर्माण में प्रस्तावों पर "एलाइनमेन्ट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग को परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र पौडी को सम्बोधित पत्र सं0 सी दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। अश्व मार्ग बनाना वन मार्गो को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12. वन भूमि का मूल्य संम्बधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य संम्बंधी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा। जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ0प्र0 वन निगम अथवा अन्य उपयुक्त प्रकिया जो वन विभाग उचित समझें द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग से सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित भूमि में पडने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षा रोपण का भुगतान अथवा एक वृक्ष के स्थान पर 10 वृक्षों का रोपण तथा 3 वर्षो तक परिषोशण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निशिद्ध है। इसी प्रकरण बॉज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15. वन भूमि के उपर से विधुत लाइन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है। तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाऐगी जिस पर संम्बंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–रक्षण की संम्भावना होती हैं। और नहर के दोनों पटरीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता हैं। तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वंय करेगा।

17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।

प्रदीप यादव
Pradeep Yadav
वरि0 प्रबन्धक (निर्माणी), लखनऊ
Sr Manager (Construction), Lucknow
गेल (इंडिया) लिमिटेड
GAIL (India) Ltd
लखनऊ (226010)
Luckn... (22...)

18. वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाए जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाए अथवा उसका उचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाए

मैं गेल इंण्डिया लिमिटेड का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त उल्लेखित सभी शर्ते मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जाएगा।

प्रदीप यादव
वरिष्ठ प्रबंधक ( निर्माण )
गेल इंण्डिया लिमिटेड
लखनऊ

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सोरॉव, इलाहाबाद

प्रदीप यादव
Pradeep Yadav
वरि० प्रबन्धक (निर्माण), लखनऊ
Sr Manager (Construction), Lucknow
गेल (इंडिया) लिमिटेड
GAIL (India) Ltd
लखनऊ (226010)
Lucknow (226010)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
इलाहाबाद